( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 03/2018**

**रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2018/00126**

**बउनवान**

1. केदारलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारॉ
2. रामप्रताप पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारॉ
3. दुर्गाशंकर पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारॉ
4. राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारॉ
5. पानाबाई पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारॉ

(प्रार्थीगण)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नं0 3591/1999 मे पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 की पालना करवाये जाने बाबत्।**

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2– पेरोकार सरकार (अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 26.06.2023**

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के प्रकरण डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नं0 3591/1999 मे पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 की पालना करवाये जाने के विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभारी अधिकारी रिकार्ड रूम (जी.ए.डी.) जिला कार्यालय, बारॉ से मूल सीलिंग पत्रावली प्रकरण संख्या 05/1984 बउनवान सरकार बनाम लटूरलाल वगैराह निर्णय दिनांक 25.03.1985 तलब की गई। उक्त मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**प्रार्थीगण के अभिभाषक** द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता धन्नालाल जिनकी मृत्यु हो गई है एवं प्रार्थीगण उनके कायम मुकामान है के विरूद्ध सिलिंग की कार्यवाही पुराना सिलिंग कानून के तहत चली हो दिनांक 06.09.1975 को समाप्त कर दी गई। राज्य सरकार ने अपने आदेश [illegible] 18.11.1980 को जरिये सिलिंग केस पुनः इस केस को खोलने का आदेश देते हुये अतिरिक्त जिला[illegible] बारॉ को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुये निदेश दिये है कि इस मे जांच कर पुनः [illegible] पारित करे। इसके उपरांत अतिरिक्त जिलाधीश बारॉ ने धन्नालाल के [illegible] और बाद जांच यह [illegible] कि धन्नालाल के पास दिनांक 01.04.1967 को 23[illegible] जो के 94.84 साधारण एक[illegible] है ओर ये जमीन 67.32 स्टेण्डर्ड एकड के बराबर होती है क्योकि जमीन प्रथम ग्रुप मे है। विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश ने धन्ना के परिवार मे 9 सदस्य मानकर 50 स्टेण्डर्ड एकड रखने का अधिकारी पाया और 17.32 स्टेण्डर्ड एकड जमीन को अधिग्रहण करने का आदेश दि. 29.08.1983 को जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29.08.1983 के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल मे की गई। राजस्व मण्डल के समक्ष यह एतराज उठाया कि स्टेण्डर्ड एकड की गणना गलत की गई है लेकिन यह आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। परिवार के सदस्यो की संख्या के बारे मे अपीलांट की आपत्ति स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:43:38 IST
Reason: Self Attested

ली ओर मण्डल ने यह माना कि परिवार के सदस्यो की संख्या 12 होती है ओर इसलिये अतिरिक्त जिलाधीश बारॉ को निर्देश दिये गये कि परिवार के सदस्यो की संख्या 12 मानकर सिलिंग की सीमा का निर्धारण करे। उक्त आदेश मानकर सीमा सिलिंग का निर्धारण किया जो 60 एकड होती है ओर 7.32 स्टेण्डर्ड एकड जमीन को अधिग्रहण करने का आदेश दिनांक 25.03.1985 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बारॉ द्वारा पारित किया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड मे अपील नम्बर 126/85 सिलिंग कोटा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 10.05.1989 को अस्वीकार कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3591/1999 लटूर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु एण्ड अदर्स प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 16.07.2015 को यह निर्णय पारित किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बारॉ द्वारा दिनांक 26.04.1990 को 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि बारानी वाके ग्राम सोकन्दा की आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 7.3 बीघा व 285 की 7.9 बीघा कुल 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जाकर कब्जा राज ली गई थी जिस पर अप्रार्थी/रेस्पो0 कब्जा लेने के अधिकारी है, न कि 4.08 स्टेण्डर्ड एकड पर एवं दखलनामा दिनांक 26.08.1991 की जो 4.08 स्टेण्डर्ड एकड सिलिंग भूमि के अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये थे को निरस्त करने का आदेश पारित किया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर निर्णय दिनांक 16.07.2015 की पालना मे दखलनामा दिनांक 26.08.1991 निरस्त फरमावे तथा 7.32 स्टेण्डर्ड एकड पर अपना कब्जा प्राप्त करे न कि 4.08 स्टेण्डर्ड एकड पर एवं दखलनामा दिनांक 26.08.1991 रकबा 04.08 स्टेण्डर्ड एकड निरस्त फरमावे।

**पेरोकार सरकार द्वारा** दौराने बहस कहा गया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/1984 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत बउनवान सरकार बनाम लटूर मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.1985 से 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसकी अपील न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर मे की गई। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रस्तुत अपील को उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 126/85/सीलिंग/ कोटा पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.1989 से अस्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3591/1999 लटूर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु एण्ड अदर्स प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 16.07.2015 को यह निर्णय पारित किया कि यदि पहले से कब्जा नही किया गया है तो उत्तरदाताओं को 7.32 मानक एकड भूमि पर कब्जा करने का अधिकार है।

इस पर प्रकरण मे तहसीलदार मांगरोल से इस न्यायालय के पत्रांक 2643 दिनांक 14.12.1992 से प्रार्थीगण के खाते की भूमि मे से 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण कर पालना रिपोर्ट मय दखलनामा वं नामान्तरण की प्रति चाही गई जो तहसीलदार मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 5278 दिनांक 19.12.1992 से दखलनामा 26.04.1990 एवं 26.08.1991 एवं नामान्तरकरण संख्या 1 दि. 03.11.1991 की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को भिजवाई गई एवं 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किया जाना अवगत करवाया गया। प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.1985 से 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये थे, इससे अधिक भूमि अधिग्रहण नही की गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. खारिज किया जावे।

**प्रकरण में उभयपक्ष** की बहस सुनी गई। प्रकरण मे तहसीलदार मॉगरोल से प्राप्त दखलनामा नामान्तरण आदि की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के अनुसार अधिकतम क्षेत्रफल की गणना सुनिश्चित सिंचाई के तहत 01 एकड भूमि को 1.5 एकड भूमि के बराबर माना जाएगा, जो एक वर्ष मे एक फसल उगाने मे सक्षम है। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/1984 किस्म राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत बउनवान सरकार बनाम लटूर मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.1985 से 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रकरण मे दखलनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:43:38 IST
Reason: SelfAttested

26.04.1990 के अनुसार खसरा नं. 182 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 07 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नं. 285 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा में से 07 बीघा 09 बिस्वा कुल 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर दखल दिया गया एवं दखलनामा 26.08.1991 के अनुसार खसरा नं. 120 रकबा 0.47 है., खसरा नं. 71 रकबा 1.23 है. एवं खसरा नं. 340 रकबा 0.05 है. कुल 1.75 हैक्टेयर भूमि पर दखल दिया गया। प्रकरण में दर्ज नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 03.11.1991 वाके ग्राम सोकन्दा तहसील मांगरोल के अनुसार खसरा नम्बर मि. 340 की 0.77 हेक्टयर भूमि, खसरा नम्बर मि. 341 की 0.49 हेक्टयर भूमि, खसरा नम्बर मि. 120 की 1.67 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर मि. 71 की 1.23 हेक्टयर भूमि कुल 4.16 हेक्टयर भूमि अधिग्रहण की गई जिसके स्टेण्डर्ड एकड 7.32 के बराबर होते है।

खातेदार धन्ना पुत्र लक्ष्मण मीणा की कुल भूमि 237 बीघा थी, जिसके स्टेण्डर्ड एकड बनाये गये जो 67.32 स्टेण्डर्ड एकड (1 स्टेण्डर्ड एकड = 3.52 बीघा) (साधारण 1 एकड = 2.50 बीघा) कुल 98 एकड अर्थात सिलिंग अधिग्रहण के समय प्रार्थी खातेदार की भूमि की गणना 1 एकड को 1.5 एकड भूमि के बराबर मानकर की गई। इसी प्रकार 7.32 स्टेण्डर्ड एकड को साधारण एकड मे गणना करने पर बराबर 7.32 X 1.5 = 10.98 एकड, प्रार्थी खातेदार की भूमि 7.32 स्टेण्डर्ड एकड अधिग्रहण की गई। प्रार्थी खातेदार की कुल भूमि 237 बीघा = 67.32 स्टेण्डर्ड एकड में से अधिग्रहण भूमि 7.32 स्टैण्डर्ड एकड़ के बाद खातेदार के पास अधिग्रहण के बाद शेष रही भूमि 60 स्टेण्डर्ड एकड = 211 बीघा भूमि रही है। इस प्रकार अधिग्रहण की गई 237-211 = 26 बीघा भूमि जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 03.11.1991 वाके ग्राम सोकन्दा तहसील मांगरोल दर्ज किया गया जो सही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 के अनुसार उक्त 4.16 हेक्टयर भूमि सरकार के खाते दर्ज की गई। इस प्रकार प्रकरण मे खातेदार की 7.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही अधिग्रहण की गई है, इससे अधिक भूमि अधिग्रहण नही की गई है। **परिणामस्वरूप** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **26.06.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

**(सत्यनारायण आमेटा)**
**अति0 जिला कलक्टर**
**बारॉ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:43:38 IST
Reason: SelfAttested